

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 1980/आषाढ़ 6, 1902

No. 182] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 1980 /ASADHA 6, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वि.सं. संज्ञासूचक
(राजपत्र विभाग)

अभिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 1980

सौमा-शुल्क

सा. का. नि. 383(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सौमा-शुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, अपना यह समाधान हो जाए पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 117-सीमा-शल्क, तारीख 19 जून, 1980 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबंध सारणी में, क्रम सं. 21 के सामने स्तम्भ (3) में,

(1) मव (10) से (12) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,
अर्थात् :—

“(10) चुम्बकीय टेप वहन के पूजे

(11) चुम्बकीय डिस्कवहन के पूजे

(12) फ्लोपी डिस्क वहन के पूजे” ।

(2) मद (13) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(14) पेपर टेप पंच के पूजे

(15) कार्ड पंच के पूजे” ।

[सं. 125/फा. सं. एस. 17/80-टी आर यू.]
जी. के. पिल्ले, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 1980

CUSTOMS

G.S.R. 383(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 117-Customs, dated the 19th June, 1980, namely :—

In the Table annexed to the said notification, against Serial No. 21, in column (3)—

(i) for items (x) to (xii), the following shall be substituted, namely :—

“(x) Parts of magnetic tape drive.

(xi) Parts of magnetic disc drive.

(xii) Parts of Floppy disc drive.” ;

(ii) after item (xiii) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“(xiv) Parts of paper tape punch.

(xv) Parts of card punch”.

[No. 125|F. No. S. 17|80-TRU]

G. K. PILLAI, Under Secy.